



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



4 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 495 राँची, शुक्रवार,

26 जुलाई, 2024 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

11 जुलाई, 2024

संख्या-09/आरोप-राँची-43/2017-2062-(09)/रा.,--श्री सहदेव मेहरा, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त जिला अवर निबंधक, गिरिडीह के विरुद्ध राँची जिला अंतर्गत नामकुम अंचल के मौजा-तेतरी तथा शहर अंचल के मौजा-हातमा एवं बुटी के अंतर्गत भूमि का बिक्री पट्टा का निबंधन के निष्पादन के क्रम में झारखण्ड निबंधन नियमावली, 2000 के भाग सं0-6 के नियम-21 में निहित प्रावधान/निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के आरोप में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, राँची का पत्रांक-322(ii)/स्था0, दिनांक-02.03.2021 द्वारा आरोप पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है।

2. आरोप पत्र में गठित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-2354/रा0, दिनांक-09.07.2021 द्वारा श्री मेहरा से स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त के आलोक में श्री मेहरा द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

3. श्री मेहरा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-**4674/रा0**, दिनांक- **29.12.2022** के माध्यम से उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गई है। उक्त के क्रम में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची का पत्रांक-**515(II)/स्था0**, दिनांक-**08.05.2023** द्वारा विभाग को मंतव्य उपलब्ध कराया गया है।
4. श्री मेहरा के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप, श्री मेहरा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य एवं उपलब्ध अभिलेख के सम्यक समीक्षोपरांत श्री मेहरा के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-**43(ख)** के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक-**3111**, दिनांक-**06.05.2024** द्वारा श्री कमल जॉन लकड़ा, (सेवानिवृत्त भा०प्र०से०) को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग हेतु विभागीय जाँच पदाधिकारी नामित किया गया है।
6. अतः विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री कमल जॉन लकड़ा, (सेवानिवृत्त भा०प्र०से०) विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है तथा अपर समाहर्ता, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।
7. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री (निबंधन) का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

भगीरथ प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।
